

**कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन सचिव छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग, रायपुर
(अधिसूचना धारा 6, भू- अर्जन अधिनियम 1894)**

क्रमांक/05 क/वा./भू.अ./अविअ/प्र.क्र. 45/अ 82 वर्ष 2013-14 रायपुर दि.10.11.14

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक -1 सन् 1984) की धारा 06 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है।

1. भूमि का वर्णन

अ.	जिला - रायपुर	ब.	तहसील - अभनपुर
स.	ग्राम - उपरावारा	द.	प.ह.नं. - 137/16

खसरा नंबर एवं क्षेत्रफल

स.क्र.	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हेक्टेयर में
1	2	3
1	1317	0.10
2	2463	0.20
3	2894 / 1	2.00
4	2894 / 2 का भाग	0.82
5	2910 / 1	0.11
6	2911 / 1	0.48
7	2912 का भाग	0.26
8	2913 का भाग	0.27
9	2914 / 1	0.99
10	2915	0.95
11	2916	0.35
12	2617	0.08
13	2618	0.10
14	2919	0.12
15	2920	0.05
16	2921	0.32
17	2922	0.04
योग	17	7.24

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - **नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य योजना क्षेत्र** हेतु।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग / अभनपुर मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

(छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार)

(ठाकुर राम सिंह)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर (छ.ग.)